

कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड, पौड़ी

संख्या 2349 / 2-स्था0 / 287 / प्र0प्र0के0 / प्रशि0-नियुक्ति / 2019-20 दिनांक 05-11 अक्टूबर, 2019
:: आदेश ::

सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ, अपर आमवाला, देहरादून के पत्रांक 502 / उ0प्रा0शि0प0 / स0ग0भ0प0 / च0सं0 / 2019-20 दिनांक 10.07.2019 के द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह 'ग' के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अपनायी गयी चयन प्रक्रिया के फलस्वरूप ग्राम्य विकास विभाग में प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों के अन्तर्गत प्रशिक्षक/अनुदेशक के 03 पदों हेतु चयनित/संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रशिक्षक/अनुदेशक के रिक्त पद के सापेक्ष प्रशिक्षक/अनुदेशक, वेतनमान 29200-92300 (लेवल-5) में उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ, अपर आमवाला, देहरादून द्वारा की गई संस्तुतियों के क्रमागत निम्न तालिका के स्तम्भ-04 में उल्लिखित प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुये दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर तैनात किया जाता है :-

| क्र. सं. | अभ्यर्थी का नाम | पिता/पति का नाम एवं पता | तैनाती का प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र |
|----------|-----------------|--|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| 1 | सुभाष शर्मा | श्री मथुरा प्रसाद शर्मा, गली नं0 / मकान नं0 / मोहल्ला-K.N. 624, ढाबा मोथरेवाला, ग्राम-मोथरेवाला, जनपद-देहरादून, उत्तराखण्ड, पिन-248001 | प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, गोपेश्वर (चमोली), |
| 2 | अर्चना बहुगुणा | श्री दीपक ढौढियाल, मकान संख्या 110, धारावाली, मोहब्बेवाला, डाकघर मोहब्बेवाला, जनपद-देहरादून, उत्तराखण्ड, पिन-248110 | प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, थरकोट (पिथौरागढ़) |
| 3 | देवेन्द्र कुमार | श्री नन्दन लाल, नाघर साहू, डाकघर धिंधारुतोला, जनपद बागेश्वर, उत्तराखण्ड, पिन-263619 | प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, पौड़ी |

- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है तथा बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
- उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों को उक्त वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी देय होंगे।
- उक्त नियुक्ति अभ्यर्थी के पूर्ववृत्त तथा चरित्र एवं जाति प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के सकारात्मक होने के प्रतिबन्धाधीन की जा रही है। अभ्यर्थी के पूर्ववृत्त तथा चरित्र एवं जाति प्रमाण-पत्रों के सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उक्त नियुक्ति स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी।

क्रमशः-2-

9

o/c

Pr

4. उक्त नवनियुक्त सभी अभ्यर्थियों द्वारा सम्बन्धित आचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र को निम्न प्रमाण-पत्रों के साथ योगदान सूचना प्रस्तुत की जायेगी :-
- (1) शैक्षिक योग्यता एवं जाति प्रमाण पत्र।
 - (2) अपनी चल/अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा पत्र।
 - (3) विवाहित होने की स्थिति में एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का घोषणा पत्र।
 - (4) मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र मूल रूप में।
 - (5) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।
5. उक्त नव नियुक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने हेतु की गयी यात्रा के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।


(डॉ० राम बिलास यादव)

आयुक्त,
014 ग्राम्य विकास,
124 उत्तराखण्ड, पौड़ी

पृष्ठांकन संख्या 23 49/2-स्था0/287/प्र0प्र0के0/प्रशि0-नियुक्ति/2019-20 /तददिनांकित
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उक्त नव नियुक्त प्रशिक्षक/अनुदेशकों को सूचनार्थ एवं परिपालनार्थ प्रेषित।
2. आचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, गोपेश्वर (चमोली); थरकोट (पिथौरागढ़) एवं पौड़ी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के द्वारा योगदान से पूर्व वांछित प्रमाण पत्रों की नियमानुसार जांच कर योगदान कराना सुनिश्चित करें।
3. कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, चमोली, पिथौरागढ़ एवं पौड़ी।
4. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली, पिथौरागढ़ एवं पौड़ी।
5. सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ, अपर आमवाला, देहरादून।
6. अपर सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।


(डॉ० राम बिलास यादव)

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

04
12